



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/ATY-1346/JH/12/2023-APCR

दिनांक : 20.08.2024

सेवा मे,

श्री चंदन कुमार सिन्हा
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला - रांची,
एसएसपी कार्यालय,
जिला-रांची, झारखंड- 834001
Email Id: ssp-ranchi@jhpolicen.gov.in

विषय: काँके थाने में पदस्थापित एस. आई. राजीव कुमार, संजय नायक, वीरेन्द्र कुमार मेहता, जितेन्द्र सिंह तथा अन्य सहयोगियों द्वारा प्रार्थी के साथ दुर्व्यवहार, जातिसूचक गाली - गलोच एवं मारपीट करने के संबंध में श्री अतीत कुमार का अभ्यावेदन।

संदर्भ: (i) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला - रांची पत्र दिनांक 06.10.2023
(ii) आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.04.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए **राजकीय अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची (झारखंड)** में दिनांक **27.08.2024 को 02:00 P.M.** बजे सिटिंग निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

 भवदीप

(एच.आर. मीणा/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID :hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री अतीत कुमार
ग्राम - कदमा,
पोस्ट + थाना - काँके
रांची, झारखण्ड - 834006
atitk8831@gmail.com
Mobile No:7739340033